न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर

पत्रावली प्रार्थना पत्र /FSSA/संख्या : 21/2017

प्रेमचंद जैन एफ0एस0ओ0 कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकितसा एवं स्वास्थ्य सेवायें भरतपुर जोन भरतपुर।

सायल

बनाम

1. किशोर कुमार पुत्र श्री हुकमचन्द अग्रवाल जाति वैश्य एफबीओ व विक्रेता फर्म गोयल एजेन्सीज रिको रोड एसटीसी हाउसिंग बोर्ड भरतपुर निवासी मकान नं0 324 गिर्राज कॉलोनी रेल्वे स्टेशन के पास भरतपुर।
2. पिंकी अग्रवाल पत्नि श्री भूपेन्द्र कुमार अग्रवाल जाति वैश्य मालिक फर्म गोयल ऐजेन्सीज रीको रोड एसटीसी हाउसिंग बोर्ड भरतपुर निवासी मकान नं0 324 गिर्राज कोलोनी रेल्वे स्टेशन के पास भरतपुर ।
3. अंशूल कुमार खण्डेलवाल पुत्र श्री फूलचन्द खण्डेलवाल जाति वैश्य मालिक फर्म न्यू खण्डेलवाल ट्रेडिंग कम्पनी पुराना अस्पताल रोड मैन मार्केट महुवा जिला दौरा निवासी जालुकी रोड लक्ष्मणगढ जिला अलवर।
4. विष्नू मिततल पुत्र श्री मांगेराम मित्तल डायरेक्टर फर्म टैक्सला फूड एण्ड बेबरेज प्रा0लि0 यू0बी0–3 पिंक टॉवर, विहाइण्ड लक्ष्मी मंदिर सिनेमा, टोंकरोड जयपुर निवासी 136 दीपक विहार, नया बाजार नजफगढ नई दिल्ली 110043
5. होमी पुत्र विनोद कुमार डायरेक्टर फर्म टैक्सला फूड एण्ड बेबरेज प्रा0लि0 यू0बी0–3 पिंक टॉवर, विहाइण्ड लक्ष्मी मंदिर सिनेमा, टोंकरोड जयपुर निवासी 37 ए, रतिराम नगर, नजफगढ, धर्मपुरा नई दिल्ली 110043
6. पूजा मल्होत्रा पत्नि श्री प्रमोद कुमार कृश्न भटनागर डायरेक्टर फर्म टैक्सला फूड एण्ड बेबरेज प्रा0लि0 यू0बी0–3 पिंक टॉवर, विहाइण्ड लक्ष्मी मंदिर सिनेमा, टोंकरोड जयपुर निवासी 7018/डी–7 बंसत कुन्ज नई दिल्ली 110070
7. KEVIN WIL MIN पुत्र श्री LIM TECH KWANG डायरेक्टर फर्म टैक्सला फूड एण्ड बेबरेज प्रा0लि0 यू0बी0–3 पिंक टॉवर, विहाइण्ड लक्ष्मी मंदिर सिनेमा, टोंकरोड जयपुर निवासी 7 Chwee Chain Road SINGAPORE OVERSWAS
8. नौशाद आलम पुत्र श्री जाने आलम नौमिनी फर्म वी एच वी बेबरेज प्रा0लि0 खसरा नं0 151/16/3, 24/2.25 in Revenue Estate of village-Rohad Rohad industrial Area' Distt. Jhajjar (Haryana 124507)
9. फर्म वी एच वी बेबरेज प्रा0लि0 खसरा नं0 151/16/3, 24/2.25 in Revenue Estate of village-Rohad Rohad industrial Area' Distt. Jhajjar (Haryana 124507)

गैर सायल

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफ.एस.एस.एक्ट, 2006 एवं नियम 2011.

उपस्थिति :
श्री नरेशचंद सिंघल वकील गैर सायल ।

निर्णय

दिनांक : 14.6.2018

सायल द्वारा यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत अंतर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ाा) एफ.एस.एस.एक्ट, 2006 एवं नियम 2011. विरूद्ध गैरसायलान प्रस्तुत किया गया है। गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। नियत दिनांक को गैर सायलान मय वकील श्री नरेशचंद उपस्थित। प्रार्थी उपस्थित नहीं। इस्तगासा की नकल देते हुये गैरसायलान को इस्तगासा में अंकित आरोप सुनाया गया कि दिनांक 12.5.2016 को प्रातः 01:30 पी0एम0 पर गैरसायल की फर्म गोयल एजेन्सीज रिको रोड एसटीसी हाउसिंग बोर्ड भरतपुर का निरीक्षण किया गया। दौराने निरीक्षण/जांच गैर सायल की उक्त फर्म पर आम जनता के इस्तेमाल एवं विक्रय हेतु खाद्य वस्तु स्वीटेन्ड कारबोनेटेड वाटर C.F.D. (Xalta) Orange 600 मि0ली0 पैक की एक ही बैच की 12X15 बोतलें गत्ते के कार्टूनों में रखी हुई पायी गई। जिसमें मिलावट अथवा संदेह होने पर नियमानुसार मौके पर नमूना लिया गया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी गई। खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस–1285/एक्ट/2016/2076 दिनांक 2.6.2016 द्वारा उक्त स्वीटेन्ड कारबोनेटेड वाटर C.F.D. (Xalta) Orange का नमूना मिथ्या छाप (Misbrand) स्तर का पाया गया है। गैर सायल द्वारा मिथ्या छाप (Misbrand) स्तर की खाद्य वस्तु विक्रय करके खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम अंतर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ाा) एफ.एस.एस.एक्ट, 2006 एवं नियम 2011. का उल्लघंन किया है।

आरोपो को सुन व समझकर वकील गैरसायल ने कथन किया कि यह स्वीटेन्ड कारबोनेटेड वाटर C.F.D. (Xalta) Orange मानव सेवन के लिये कतई हानिकारक नहीं है। जांच में मिथ्याछाप की जो कमियां पायी गई है उन्हें सहवनवश भूल एवं प्रथम गलती स्वरूप अप्रार्थीगण स्वीकार करते है। जिसका भी हमने तत्समय ही सुधार कर लिया गया है। गैर सायल यह त्रृटी सहवन से होने के कारण आरोप को स्वीकार करता है। भविष्य में गैरसायल अधिक सजगता बरतते हुए स्वीटेन्ड कारबोनेटेड वाटर C.F.D. (Xalta) Orange का विक्रय करेगा। गैरसायल की प्रथम गलती है। अतः गैरसायल के प्रति नरम रूख अपनाते हुए जुर्माना किये जाने की प्रार्थना की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। वकील गैर सायल के कथनों पर मनन किया । दौराने निरीक्षण गैर सायल की फर्म पर आम जनता को विक्रय हेतु स्वीटेन्ड कारबोनेटेड वाटर C.F.D. (Xalta) Orange का नियमानुसार नमूना लिया जो खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस–1285/एक्ट/2016/2076 दिनांक 2.6.2016 द्वारा मिथ्याछाप (Misbrand) स्तर का पाया गया है। गैर सायल द्वारा मिथ्याछाप स्तर के स्वीटेन्ड कारबोनेटेड वाटर C.F.D. (Xalta) Orange का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम अंतर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ाा) एफ.एस.एस.एक्ट, 2006 एवं नियम 2011. का उल्लघंन किया है। गैरसायल की प्रथम गलती होने के कारण भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृति नही किये जाने की चेतावनी गैरसायल को दी जाती है। अतः

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत गैरसायलान के द्वारा की गई अनियमितता के आधार पर गैर सायलान को 20,000/—रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। गैरसायल अर्थदण्ड की राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करावे। गैरसायलान द्वारा रसीद संख्या 000061 दिनांक 14.6.2018 से अर्थदण्ड राशि जमा राजकोष की गई । कार्यवाही समाप्त की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 14.6.2018 को सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official